न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 30/2026

श्री अंकित अग्रवाल पुत्र बालकिशन गुप्ता निवासी 28, साकेत कॉलोनी वार्ड संख्या 17 देवली तहसील देवली जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

Please provide the following information regarding the land on Deoli Road, Vikas Vihar Colony, Tonk:

Revenue Status: Provide the current land classification (Kism) of Khasra No. 5118 and 5119. Is it still recorded as "Agricultural" in the Jamabandi?

Power of Attorney (PoA) Records: Provide a certified copy of any Registered Power of Attorney or "Mukhtarnama" submitted to the Revenue Department or Sub-Registrar Office by the original land owner in favour of the current operator/manager of Kalpana Marriage Garden for these Khasra numbers.

Authorization for Commercial Use: If a PoA exists, please clarify if the document specifically authorizes the holder to apply for land conversion (90-A) or to operate a commercial marriage garden on this agricultural land.

Conversion Orders: Provide a certified copy of the Section 90-A conversion order for this land. If no such order exists, please state if the commercial operation is deemed unauthorized as per Section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act.

Enforcement: Provide details of any notices issued for the misuse of this land by the PoA holder or owner.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 504 दिनांक 11.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 118 दिनांक 17.03.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध आयुक्त नगर परिषद, टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 118 दिनांक 10.02.2026 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 119 दिनांक 10.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम

806

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्यं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)